पत्रांक– 14/एम7–44/2014 -945

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना दिनांक 25-7-14

विषयः— सी०डब्लु०जे०सी० सं०–10032/2009 में दिनांक 18.03.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रभावी तिथि तय करने हेतु माननीय सेवा निवृत न्यायमूर्ति श्री एस०एन० झा की अध्यक्षता में कार्य सम्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि सी०डब्लु०जे०सी० सं०–10032/2009 में दिनांक 18.03.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रभावी तिथि तय करने हेतु माननीय सेवा निवृत न्यायमूर्ति श्री एस०एन० झा की अध्यक्षता में कार्य सम्पादन करने हेतु आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षको की नियुक्ति/प्रोन्नति प्रभावी तिथि तय करने हेतु सुनवाई की जा रही है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 28.07.2014 से निर्धारित है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय क पक्ष रखने हेतु किसी भी अधिवक्ता को नामित नहीं किया गया है, जिसके कारण आयोग में आवेदक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन की प्रति प्राप्त नहीं की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि समिति के समक्ष विश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु विश्वविद्यालय के अधिवक्ता को निर्धारित तिथि को सुनवाई के लिए प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 25/7/14

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव।